BSNLEU

# B S N L Employees Union

## M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)
(The Only Recognised union in BSNL)
OFFICE:1195,Lal Kothi, Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)
Phone:- 0761-2425789, Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499
Circle Secretary
S.R.Nayak
Email:srnayak68@yahoo.in
Circle President
Saiyed Raasid Ali

क्रमांकः 2010/डब्ल्यू.टी.आर.–जेबी/22 दिनांक 18/06/2010

प्रति,

(1) श्री टी.के.सिल
मुख्य महा प्रबंधक दूर संचार, बी एस एन एल (अनुरक्षण)
पश्चिमी दूर संचार प्रक्षेत्र, मुम्बई।

(2) श्री टी.के.पाल
महा प्रबन्धक दूर संचार, बी एस एन एल (अनुरक्षण)
सी.टी.एक्स. कम्पाउण्ड, भोपाल।

विषयः–उप महा प्रबंधक (अनुरक्षण) पश्चिमी दूर संचार प्रक्षेत्र, जबलपुर के कार्यालय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन 10337/2009 के निष्पादन को लेकर चलाए गए भ्रामक प्रचार के विषय में।

---------x--------

महोदय,

विषयांतर्गत रिट पीटीशन, उप महा प्रबंधक, डब्ल्यू.टी.आर. जबलपुर के कार्यालय में पदस्थ मण्डल अभियंता (प्रशासन) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचार के लिए प्रस्तुत की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश शासन, पुलिस अधीक्षक जबलपुर, महा प्रबंधक दूरसंचार जिला जबलपुर तथा बी एस एन एल एम्प्लाइज यूनियन के केन्द्रीय मुख्यालय को प्रतिवादी पार्टी बनाया गया था। रिट पिटीशन पर माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में लगभग एक दर्जन पेशियां हुई तथा दिनांक 07.04.2010 को जबलपुर उच्च न्यायालय ने आगे विचार के योग्य न समझते हुए तथा बिना एडमिट किए हुए रिट याचिका का निष्पादन कर दिया।

उल्लेखनीय है कि, रिट याचिका में प्रतिवादी पार्टी क्रमांक 4, बी एस एन एल एम्प्लाइज यूनियन के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई आब्जर्वेशन या डायरेक्शन नहीं दिया है। किन्तु पिटीशनर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत करने पर कि प्रतिवादी क्रमांक 2 अर्थात् प्रलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा विधि के अनुसार कार्य नहीं किए जाते तो सभी पक्षों की सहमति से माननीय उच्च न्यायालय ने पार्टी क्रमांक 2 को विधि के अनुसार कार्य करने हेतु अपनी टिप्पणी दी।

इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि:– **"It is further observed that the departmental proceedings initiated against the employees shall also be dealt with in accordance with law."**

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आब्जर्वेशन से स्पष्ट है कि कर्मचारियों के विरूद्व विचाराधीन अनुशासनात्मक प्रकरणों का निराकरण विधि (Law) के अनुसार किए जाने की अनुशंसा है। इसमें इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्पष्ट रूप से अपना आब्जर्वेशन प्रस्तुत किया है कि नियमों का पालन करते हुए विधि का भी पालन होना चाहिए।

क्रमशः....2.....